

पत्र संख्या-वि0व0-संग्रह-ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी योजना/ 2011-12/367/1112046 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(संग्रह-अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 11 अगस्त, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय:- केन्द्रीय बिक्री कर, ब्यापार कर एवं प्रवेश कर के देयों से सम्बन्धित ब्याज / अर्थदण्ड
माफी योजना की समयावधि दिनांक 31 अगस्त 2011 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

शासनादेश संख्या- क0नि0-390-ग्यारह-2-2011-9(21)/2003 दिनांक 30-03-2011द्वारा जारी ब्याज / अर्थदण्ड माफी योजना इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-19/1112006/ वाणिज्य कर दिनांक 07 अप्रैल,2011 से दिनांक 01-05-2011 से दिनांक 31-07-2011तक की अवधि के लिए लागू की गयी थी ।

विभिन्न व्यापारी संगठनों, टैक्स बार एसोसियेशनों के द्वारा इस योजना की समयावधि बढ़ाने की माँग की गयी थी । शासन द्वारा शासनादेश संख्या-क0नि0-2-846/ग्यारह-2-2011-9 (21) /2003 दिनांक 11-08-2011से सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त ब्याज / अर्थदण्ड माफी योजना की समयावधि दिनांक 31-08-2011 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है ।(छायाप्रति संलग्न)

कृपया उपर्युक्त शासनादेश की छायाप्रतियाँ कराकर अपने जोन के जिलाधिकारियों, अधिवक्ता संघों एवं ब्यापार मण्डल / सलाहकार समिति के सदस्यों को तत्काल उपलब्ध कराते हुए मुख्य स्थानों जैसे आयकर विभाग, मण्डी परिषद, रेलवे, कलेक्टर कार्यालयों के सामने योजना के प्रचार प्रसार हेतु सूचना बोर्डों पर चस्पा कराये एवं सूचना पत्रों के माध्यम से जनसामान्य को अवगत कराने की कार्यवाही भी करेजिससे अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति सम्भव हो सके ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

(बी0रामशास्त्री)
एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- (1) सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
 - (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
 - (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियो में)
 - (4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30 प्र०
 - (5) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , 30 प्र० मुख्यालय लखनऊ ।
 - (6) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि० नु० शा०/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
 - (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि० नु० शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
 - (8) समस्त डिप्टी कमिशनर / अस्सिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क० नि० / वि० नु० शा० / स० द०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
 - (9) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
 - (10) महालेखाकार, 171 ए अशोक नगर, इलाहाबाद ।
 - (11) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान , विक्रमादित्य मार्ग , लखनऊ।
 - (12) प्रबन्धक, ईसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
 - (13) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
 - (14) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए० जी० डि० 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
 - (15) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
 - (16) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमि०/ अस्सिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद ।
 - (17) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमि०/ अस्सिस्टेन्ट कमि० (उ० न्या० कार्य०) लखनऊ/ इलाहाबाद।
 - (18) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में ।
 - (19) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ ।
 - (20) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
 - (21) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो० 185/293 मीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ ।
 - (22) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
 - (23) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
 - (24) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
 - (25) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29 बी विधायक निवास दारुल्लाहा लखनऊ।
 - (26) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स , 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
 - (27) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
 - (28) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
 - (29) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
 - (30) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
 - (31) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर, लखनऊ ।
 - (32) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) के माध्यम से ।
 - (33) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
 - (34) शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महा सचिव, 30 प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस० एस० कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर
 - (35) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30 प्र० शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
 - (36) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
 - (37) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
 - (38) डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।

- (39) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
- (40) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुंजगली,चौक,वाराणसी ।
- (41) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
- (42) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (43) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (44) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
- (45) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (46) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (47) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
- (48) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (49) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (50) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0पा0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (51) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (52) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (53) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (54) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ ।
- (55) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पंजी0-बी-29,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ ।
- (56) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।
- (57) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (58) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।
- (59) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (60) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (61) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
- (62) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (63) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
- (64) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (65) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (66) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (67) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन्स, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (68) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(जी0पी0वर्मा)

ज्वाइंट कमिश्नर (संग्रह), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

प्रेषक,

(उ.प्र.)

चन्द्रभानु,
सचिव,
कर एवं निबन्धन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2011

विषय: दिनांक 31.03.2010 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश माल के प्रदेश पर कर अधिनियम/उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अन्तर्गत सृजित मांग की धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा होने पर देय ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना की तिथि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-वि0व0-संग्रह/ब्याज माफी/2011-12/345/वाणिज्य कर दिनांक 5.8.2011 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-क0नि0-390/ग्यारह-2-2011-9(21)/2003 दिनांक 30.03.2011 द्वारा जारी ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना की अवधि दिनांक 31.8.2011 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना की समयावधि दिनांक 31.08.2011 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

(चन्द्रभानु)
सचिव।